पत्रांकः– 14/ए0एफ015/2019...–988

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक 22/09/2020

विषयः– इन्दु देवी रंजीत कुमार प्रकाश प्रोफेशनल कॉलेज, हाजीपुर को स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायो में प्रतिष्ठा स्तरों में सत्र 2020–2023 एवं 2021–2024 के लिए अस्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके विश्वविद्यालय के पत्रांक–B/747 दिनांक 27.05.2020, एवं पत्रांक–B/1019 दिनांक 13.08.2020 के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा–21 (2) (d) के अधीन एवं राज्यपाल सचिवालय से निर्गत परिनियम संख्या–1098 दिनांक 19.04.1986, पत्रांक 3196 दिनांक–14.12.2017 एवं पत्रांक–3074 दिनांक–25.10.2019 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने इन्दु देवी रंजीत कुमार प्रकाश प्रोफेशनल कॉलेज, हाजीपुर को स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायो में पास एवं प्रतिष्ठा स्तरों में सत्र 2020–2023 एवं 2021–2024 के लिए अस्थायी संबंधन प्रदान करने के संबंध मे सहमति प्रदान की है।

क्र0 सं0	संकाय	विषय
01	कला संकायः (पास एवं प्रतिष्ठा स्तर में)	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भोजपुरी, ऊर्दू, परसियन, मैथिली, अर्थशास्त्र, ग्रामीण अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, मानवशास्त्र, इतिहास, भूगोल, भुगर्भशास्त्र, समाजशास्त्र, गणित, प्राचीन भारतीय इतिहास, संगीत, एल0एस0डब्लू0, दर्शनशास्त्र एवं लोक प्रशासन (कुल 23 विषयों में)
03	विज्ञान संकाय (पास एवं प्रतिष्ठा स्तर में)	भौतिकी, रसायनशास्त्र, गणित, वनस्पतिशास्त्र, जन्तु विज्ञान एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (कुल 06 विषयों में)
03	वाणिज्य संकाय (पास एवं प्रतिष्ठा स्तर में)	एकाउन्टेन्सी, बिजनेस फाइनान्स, बिजनेस इन्वॉरमेन्ट तथा कॉरपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन (कुल 04 विषयों में)

यह आदेश विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिए गए परामर्श के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। साथ ही एल0पी0ए0 संख्या–1404/2018 में विभाग द्वारा माननीय न्यायालय में दायर M.J.C के फलाफल से उक्त आदेश प्रभावित होगा।

सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

विश्वासभाजन

22/9/2020

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

535

Sec_14#2020

Scanned with CamScanner